4530

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

हरियाणा HARYANA 636257

मास्टर दयानन्द मेमोरियल एजूकेशनल ट्रस्ट"

ट्रस्ट डीड

हम

1. श्री महीपाल सुपुत्र श्री दयानन्द निवासी गांव खातीवास तहसील व जिला झज्जर ।
2. श्री जयभगवान सुपुत्र श्री लाल सिंह निवासी खाजपुर तहसील व जिला झज्जर ।
3. श्री देवी सिंह सुपुत्र श्री अतर सिंह निवासी सी-3, संजय ग्राम दिल्ली रोड गुड़गांव
4. श्रीमति सुमित्रा धर्मपत्नी श्री जय भगवान निवासी खाजपुर तहसील व जिला झज्जर ।
5. श्रीमती सुमन पत्नी श्री महीपाल निवासी गांव खातीवास तहसील वजिला झज्जर
6. श्रीमती अक्षमा पत्नी श्री देवी सिंह सी-3, संजय ग्राम दिल्ली रोड गुड़गांव ।
7. श्रीमती दमयन्ती पत्नि श्री स्व: श्री दयानन्द । निवासी खातिवास तह0 व जिला झज

जो कि हम अपने बन्धु-बान्धव मित्रगण एवं परिजनों के सहयोग से शैक्षणिक धार्मिक नैतिक, अध्यात्मिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु तथा असहाय, पीड़ित एवं पिछड़े वर्ग की सहायता हेतु एवं मानव मात्र की सेवा के उद्देश्य से एक ट्रस्ट **"मास्टर दयानन्द मैमोरियल एजूकेशनल ट्रस्ट"** की स्थापना करना करना चाहते है । इसके हेतु प्रारम्भत: ट्रस्ट फण्ड में सम्मिलित रुप से 51000/- रुपये (इक्यावन हजार रुपये) प्रदान करते है । श्री महीपाल सुपुत्र श्री दयानन्द गांव

Sumitra Suman Akshama R.T.T Adishoy

Scanned by CamScanner

1283
9/x/07 Mahipal s/o Daya Nand Khatiwas for Trust-deed

2

प्रलेख न: 4530 दिनाँक 15/10/2007

डीड सबंधी विवरण	
डीड का नाम	TRUST
तहसील/सब-तहसील	झज्जर
गांव/शहर	खातीवास

धन सबंधी विवरण	
	स्टाम्प डयूटी की राशि 50.00 रुपये
रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 50.00 रुपये	पेस्टिंग शुल्क 2.00 रुपये

Drafted By: जगशेर Adv

यह प्रलेख आज दिनाँक 15/10/2007 दिन सोमवार समय बजे श्री/श्रीमती/कुमारी महीपाल पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी दयानन्द निवासी खातीवास द्वारा पँजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

उप / सयुँक्त पँजीयन अधिकारी
झज्जर

संयुक्त उप पंजीयक झज्जर

Mahipal
श्री महीपाल, जयभगवान, देवी सिह, सुमित्रा, सुमन, अक्षमा, दमयन्ती

उपरोक्त न्यासकर्ता व श्री/श्रीमती/कुमारी न्यासी हाजिर है। प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यो को दोनो पक्षो ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया। दोनो पक्षो की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी प्रताप सिह पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री मोहनलाल निवासी खातीवास व श्री/श्रीमती/कुमारी विनोद पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी गजे सिह निवासी खातीवास ने की। साक्षी न: 1 को हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप मे जानते है तथा वह साक्षी न: 2 की पहचान करता है।

दिनाँक 15/10/2007

उप / सयुँक्त पँजीयन अधिकारी
झज्जर

संयुक्त उप पंजीयक झज्जर

Scanned by CamScanner

खातीवास किला। 46-10मरला जमीन दान करता है जो कि खातीवास गांव में स्थित है जिसका किला नं. 14/16 7-12, 25 7-12, 25/4 7-11, 25/5 7-19, 6/1 2-0, 6/7 8-0, 8/1 5-16 है।

ट्रस्ट का नाम

इस ट्रस्ट को सदैव **"मास्टर दयानन्द मेमोरियल एजूकेशनल ट्रस्ट" सामने पी.डब्ल्यू डी रैस्ट हाऊस दादरी रोड, झज्जर** के नाम से सम्बोधित किया जायेगा और भविष्य में ट्रस्टीगण अथवा अन्य किसी को ट्रस्ट का नाम परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होगा।

ट्रस्ट का मुख्यालय

ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय ट्रस्टीगण द्वारा जनसहयोग से निर्मित **"मास्टर दयानन्द मेमोरियल एजूकेशनल ट्रस्ट" सामने पी.डब्ल्यू डी रैस्ट हाऊस दादरी रोड, झज्जर** में होगा । ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ट्रस्टीगण बहुमत से निर्णय करके ट्रस्ट की शाखा अन्यत्र भी स्थापित कर सकेंगे ।

ट्रस्ट का उद्देश्य

1. शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार हेतु हर प्रकार की पाठशाला, विद्यालय, महाविद्यालय, अथवा दस्तकार व शिल्प कला सिखाने वाले केन्द्र स्थापित करना उनका संचालन करना, अथवा ऐसी किसी भी विद्या मान संस्था को आर्थिक सहायता प्रदान करना ।

Mahipal Sumitra Suman Akshama

2. शिक्षा के प्रचार के लिए पुस्तकालय खोलना उनकी सुचारु रुप से देखभाल करना ।

3. छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए शारीरिक शिक्षा, सांस्कृतिक खेल कूद आदि की व्यवस्था करना ।

4. शिक्षा के लिए स्कूल भवन व छात्रावास आदि का निर्माण कराना व उसकी सुचारु रुप से देखभाल करना ।

5. सुयोग्य छात्रों के लिए पुरस्कार एवं छात्रवृति का प्रबन्ध करना, अथवा उनको शिक्षा से सम्बन्धित अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करना ।

6. बीमार व असहाय जनता की सेवा व इलाज के लिए अस्पताल बनवाना व चलाना तथा अन्य किसी प्रकार से मरीजों की सहायता करना ।

7. ऐसे अन्य सभी कार्य जिनका ऊपर विवरण नहीं किया गया है और जो जन साधारण के कल्याण एवं लाभ के लिए ट्रस्टीज किसी भी समय पर करना आवश्यक समझे ।

<u>बोर्ड आफ ट्रस्टीज</u>

ट्रस्ट का कार्य सुचारु रुप से संचालन हेतु एक बोर्ड आफ ट्रस्टी होगा । बोर्ड के कुल 7 सदस्य होंगे ।

1.	प्रधान :	श्री देवी सिंह
2.	उप प्रधान :	श्री महीपाल
3.	महासचिव एवं कोषाध्यक्ष	श्री जयभगवान
4.	मैम्बर	श्रीमती सुमित्रा देवी
5.	मैम्बर	श्रीमती क्षमा देवी
6.	मैम्बर	श्रीमती सुमन देवी
7	मैम्बर [illegible]	श्रीमति दमयन्ती

1. ट्रस्ट के प्रत्येक सदस्य की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी ।

2. उपरोक्त छः ट्रस्टीगण का कार्याकाल उनके जीवन पर्यान्त होगा अर्थात यह छः ट्रस्टीगण आजीवन ट्रस्टी होंगे । प्रधान हर वर्ष तबदील होता रहेगा प्रथम वर्ष प्रधान श्री देवी सिंह होगा । द्वितीय वर्ष श्री महीपाल तुतीय वर्ष श्री जय भगवान इसके उपरान्त यही क्रम आजीवन चलता रहेगा । प्रथम तीनों पदाधिकारी की लिखित सहमति से प्रधान का कार्यकाल एक वर्ष के लिये और बढ़ाया जा सकता है । ट्रस्टीगण का पद मृत्यु होने, त्यागपत्र देने, दिवालिया घोषित होने अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत मस्तिष्क घोषित किए जाने पर रिक्त समझा जायेगा

3. किसी भी ट्रस्टी का पद रिक्त होने पर पद रिक्त करने वाले सदस्य का आयु में बड़ा पुत्र सदस्य नामित किया जायेगा । अगर पुत्र नहीं होगा तो परिवार के किसी बड़े को सदस्य बनने का अधिकार होगा ।

4. एक्टिंग पधान को एडमिनिस्ट्रेटिव, वित्ताअधिकार, मीटिंग अधिकार व अन्य हर प्रकार का अधिकार होगा ।

5. अगर प्रधान कोई गलत कार्य कर रहा है तो अन्य दोनों पदाधिकारियों को उसको हटाने का अधिकार होगा ।

6. उपरोक्त नियुक्त ट्रस्टियों की कुल अधिकतम संख्या-~~6~~ 7 (~~छः~~ सात) होगी ।

ट्रस्ट की बैठक

1. वर्ष में कम से कम एक बार ट्रस्ट की बैठक अवश्य बुलाई जायेगी जिसका कोरम कुल ट्रस्टियों का साधारण बहुमत होगा ।

ट्रस्टीगण तथा पदाधिकारीयों के अधिकार व कर्तव्य

Scanned by CamScanner

1. ट्रस्ट के उदेश्यों एवं नियमों का पालन करना ।

2. हर प्रकार की चल-अचल सम्पत्ति का उचित प्रबन्ध करना, देखभाल करना और ट्रस्ट की आय व्यय का हिसाब रखना ।

3. ट्रस्ट के उदेश्यों की पूर्ति के लिए कोई भूमि अथवा भवन खरीदना या निर्माण करना ।

4. ट्रस्ट के उदेश्यों की पूर्ति के लिए किसी भी व्यक्ति या फर्म से या अन्य संस्था से दान लेना अथवा ऐसे ही उदेश्यों वाली संस्था को दान देना ।

5. ट्रस्ट के उचित प्रबन्ध के लिए ट्रस्टीगण स्वयं उचित समय न दे पाये तो किसी कमेटी का गठन या किसी अधिकारी की नियुक्ति करना और उसके नियम निर्धारित करना ।

6. ट्रस्ट के हित के लिए हर प्रकार की कानूनी कार्यवाही अमल में लाना अधिवक्ता या मुखत्यार मुकरर करना ।

7. ट्रस्ट के कार्य भार को चलाने अथवा देखभाल करने के लिए कर्मचारियों, प्रबन्धक आदि की नियुक्ति करना, उनको नियमानुसार हटाना या कोई अधिकार देना या वापिस लेना ।

8. कोई भी अन्य कार्य जो इस ट्रस्ट के उदेश्यों की पूर्ति के लिए अवश्यक हो और जो इण्डियन ट्रस्ट एक्ट की किसी धारा का उल्लंघन ना करता हो को सम्पन्न करना ।

9. ट्रस्टीगण कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2(15), 11, 12,

Sumitra

Suman

Archana

Scanned by CamScanner

अधिकार बोर्ड आफ ट्रस्टी को होगा ।

11. यदि ट्रस्टीज को किसी भी धारा में संशोधन या तबदीली करनी पड़े तो वह बहुमत से किया जायेगा और अन्य प्रस्ताव भी बहुमत से पास किये जायेंगे ।

12. ट्रस्ट का हिसाब किताब रखना

क) ट्रस्ट के आय व्यय का हिसाब नियमित रुप से रखा जायेगा और इसका वित्तीय वर्ष अर्थात 1 अप्रैल से अगामी 31 मार्च होगा । प्रथम वर्ष जिस दिन से यह न्याय पत्र लागू होगा उस दिन से ही आरम्भ माना जायेगा ।

ख) ट्रस्टीगण ट्रस्ट की धन राशि में से 25000/- रुपये तक की राशि अपने पास रख सकेंगे तथा बाकी किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखेंगे । बैंक खाता उपरोकत प्रथम तीन पदाधिकारियों में से किन्ही दो में से चलाया जायेगा ।

10. यह स्पष्ट रुप से लिखा जाता है कि किसी समय ट्रस्टीगण इस ट्रस्ट को सुचारु रुप से चलाने में असुविधा अनुभव करते हों तो वे अपनी बैठक में सर्वसम्मति से इस आशय का प्रस्ताव पास करके ट्रस्ट की सारी चल अचल सम्पत्ति को किसी अन्य ऐसे ही उदेश्यों वाली संस्था को दे सकते है ।

11. ट्रस्टीगण को यह अधिकार होगा कि यदि वे ऐसे उदेश्यों वाली किसी अन्य संस्था को उसकी चल व अचल सम्पति सहित ले सकते हैं ।

हमने इस श्रद्धा व विश्वास के साथ इस ट्रस्ट का निर्माण किया है कि सभी ट्रस्टी और पदाधिकारी पूरी जिम्मेदारी, योग्यता, ईमानदारी व लगन से ट्रस्ट द्वारा आयोजित सभी कार्यो को पूरा करेंगे तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निरन्तर प्रयत्नशील रहेंगे एवं जन सेवा द्वारा अपने जीवन को सफल बनायेंगे ।

Sumitra Suman

Akshama

साक्षी नं. 1

साक्षी नं 2

Jayshelsinh
Adv

Scanned by CamScanner

Reg. No. 4530 | **Reg. Year** 2007-2008 | **Book No.** 1

न्यासकर्ता

गवाह

न्यासकर्ता

महीपाल Mahipal ______ जयभगवान ______ देवी Devi

सिह ______ सुमित्रा Sumitra ______ सुमन Suman

अक्षमा Akshama ______ दमयन्ती ______

न्यासी

गवाह 1:- प्रताप सिंह ______ गवाह 2:- विनोद ______

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख कमांक 4,530 आज दिनाँक 15/10/2007 को बही न: 1 जिल्द न: 492 के पृष्ठ न: 200 पर पँजीकृत किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही सख्या 1 जिल्द न: 3,578 के पृष्ठ सख्या 81 से 86 पर चिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहो ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगुठा मेरे सामने किये है ।

उप / सयुंक्त पँजीयन अधिकारी
झज्जर

संयुक्त सब रजिस्ट्रार
झज्जर

दिनाँक 15/10/2007

Scanned by CamScanner

Judicial

Indian-Non Judicial Stamp
Haryana Government

Date : 24/09/2018

ertificate No. J0X2018I33

RN No. 39382877

Stamp Duty Paid : ₹ 101
(Rs. Only)

Penalty : ₹ 0
(Rs. Zero Only)

Seller / First Party Detail

ame: Mahipal

No/Floor : Na Sector/Ward : Na LandMark : Na

ty/Village : Khatiwas District : Jhajjar State : Haryana

hone: 0000

Buyer / Second Party Detail

ame : Master dayanand memorial Euduactional Trust jhajjar

No/Floor : Na Sector/Ward : Na LandMark : Na

ty/Village: Jhajjar District : Jhajjar State : Haryana

hone : 0000

urpose : AGREEMENT

121712

The authenticity of this document can be verified by scanning this QrCode Through smart phone or on the website https://egrashry.nic.in

मास्टर दयानन्द मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट

सप्लीमेंट्री ट्रस्ट डीड

हम: .

1. श्री महीपाल सुपुत्र श्री दयानन्द निवासी खातीवास तहसील व जिला झज्जर।
2. श्रीमती सुमन धर्मपत्नी श्री महीपाल निवासी खातीवास तहसील व जिला झज्जर।
3. श्री जयभगवान सुपुत्र श्री लालसिंह निवासी खाजपुर तहसील व जिला झज्जर।
4. श्री सोमवीर सुपुत्र श्री बनवारी लाल निवासी झज्जर।
5. श्री विनोद सुपुत्र श्री गजे सिंह निवासी खातीवास तहसील व जिला झज्जर।
5. श्रीमती सुमित्रा धर्मपत्नी श्री जयभगवान निवासी खाजपुर तहसील व जिला झज्जर।

संयुक्त सब रजिस्ट्रार झज्जर द्वारा [illegible] दिनांक 15-10-2007 द्वारा रजिस्टर्ड टरट के टरटी सदस्यो का सहमती से नियम/सदस्यो मे [illegible] किया गया।

Scanned by CamScanner

प्रलेख न:3496 दिनांक:25-09-2018

डीड सबंधी विवरण

डीड का नाम TARTIMA

तहसील/सब-तहसील झज्जर

गांव/शहर खातीवास

धन सबंधी विवरण

राशि 0 रुपये

स्टाम्प ड्यूटी की राशि 3 रुपये

स्टाम्प नं : J0X2018I33

स्टाम्प की राशि 101 रुपये

रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 100 रुपये

पेस्टिंग शुल्क 3 रुपये

Drafted By: Sandeep Saini, Adv

Service Charge:200

यह प्रलेख आज दिनाक 25-09-2018 दिन मंगलवार समय 3:22:00 PM बजे श्री/श्रीमती /कुमारी महीपाल पुत्र दायनन्द निवास खातीवास द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया |

उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी (झज्जर)
झज्जर

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
महीपाल

उपरोक्त पेशकर्ता व श्री/श्रीमती /कुमारी सुमन पत्नी दयानन्द जयभगवान पुत्र लाल सिहं सोमवीर पुत्र बनवारी लाल िवनोद पुत्र गजे सिहं सुमित्रा पत्नी जयभगवान हाजिर है | प्रतुत प्रलेख के तथ्यों को दोनों पक्षों ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया |दोनों पक्षो की पहचान श्री/श्रीमती /कुमारीलक्ष्मण पिता कुन्जाराम निवासी खातीवास व श्री/श्रीमती /कुमारी अजीत कुमार पिता रामफल
निवासी तुम्बाहेडी ने की |
साक्षी नं:1 को हम नम्बरदार /अधिवक्ता के रूप मे जानते है तथा वह साक्षी नं:2 की पहचान करता है |

उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी (झज्जर)
झज्जर

दिनांक 25-09-2018

Scanned by CamScanner

1. यह है कि श्री महिपाल पुत्र श्री दयानंद आजीवन ट्रस्ट का चेयरमैन रहेगा। टस्ट के सभी निर्णाय

श्री महिपाल के द्वारा ही लिए जाएंगे।

2. यह है कि चेयरमैन किसी भी सदस्य को ट्रस्ट से निकालने व शामिल करने का अधिकारी रखता है।

3. यह है कि श्री महिपाल पुत्र श्री दयानंद की अनुपस्थिति में इनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुमन इस ट्रस्ट की चेयरमैन रहेंगी।

4. यह है कि अगर किसी कारण से श्री महिपाल पुत्र श्री दयानंद एवं श्रीमती सुमन पत्नी श्री महिपाल की अनुपस्थिति में महिपाल के दोनो पुत्र युवराज व पुष्कर ट्रस्ट के चेयरमैन होंगे दोनो के पास ट्रस्ट के समान अधिकार रहेंगे।

5. यह है कि ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने फैसला लिया गया कि ट्रस्ट को सुचारू रूप से चलाने के लिए व नए मेंबर नियुक्त करने के लिए व पदाधिकारियों में फेरबदल के लिए चेयरमैन को अधिकार दिये गये।

6. यह है कि देवी सिहं सुपुत्र श्री अतर सिहं व श्रीमती अक्षमा पत्नी श्री देवी सिहं निवासी गुडगाव के त्याग पत्र के बाद श्री विनोद पुत्र श्री गजे सिहं निवासी खातीवास व श्री सोमवीर पुत्र बनवारी लाल निवासी छुडानी जिला झज्जर को मास्टर दयानन्द मेमोरियल एजूकेशनल ट्रस्ट की सदस्यता दी गई।

Scanned by CamScanner

Reg. No.	Reg. Year	Book No.
3496	2018-2019	1

पेशकर्ता

दावेदार

गवाह

उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी

पेशकर्ता :- महीपाल ____________

दावेदार :- सुमनजयभगवानसोमवीरविनोदसुमित्रा ____________

गवाह 1 :- लक्ष्मण ____________

गवाह 2 :- अजीत कुमार ____________

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 3496 आज दिनांक 25-09-2018 को बही नं 1 जिल्द नं 6321 के पृष्ठ नं 73.75 पर किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही संख्या 1 जिल्द नं 682 के पृष्ठ संख्या 10 से 11 पर चिपकाई गयी | यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहों ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगूठा मेरे सामने किये है |

दिनांक 25-09-2018

उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी (झज्जर)

झज्जर

Scanned by CamScanner